(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

आय-कर
अधिसूचना

का. आ. 637(अ).-- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित की धारा 249 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 45 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**45 :** आयुक्त (अपील) को अपील का प्रारुप – (1) आयुक्त (अपील) को कोई अपील प्ररुप सं. 35 में की जाएगी ।

(2) प्ररुप सं. 35 निम्नलिखित रीति में दिया जाएगा, अर्थात् :-

(क) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जिससे आय की विवरणी नियम 12 के उपनियम (3) के अधीन इलैक्ट्रानिक रूप में देने की अपेक्षा की जाती है, -

(i) प्ररुप को इलैक्ट्रानिक रूप में डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन देते हुए, यदि आय की विवरणी डिजिटिल हस्ताक्षर के अधीन दी जाती है;

(ii) उपखंड(i) के अंतर्गत न आने वाले मामले की दशा में प्ररुप को इलैक्ट्रानिक रूप में इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से देते हुए ;

(ख) किसी ऐसी दशा में जहां निर्धारिती के पास आय की विवरणी को कागज प्ररुप में देने का विकल्प है, प्ररुप को इलैक्ट्रानिक रूप में उप नियम (2) के खंड (क)के अनुसार या कागज प्ररूप में देते हुए ।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अपील का प्ररुप किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो अधिनियम की धारा 140 के अधीन आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है, जैसा कि निर्धारिती को लागू है ।

(4) प्ररुप सं. 35 के साथ संलग्न कोई दस्तावेज ऐसी रीति में दिया जाएगा, जिसमें उक्त प्ररुप दिया जाता है ।

(5) यथास्थिति, प्रधान महानिदेशक आयकर, (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली) -

(i) प्ररूप सं. 35 और दस्तावेजों को इलैक्ट्रानिक रूप में फाइल करने के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा;

(ii) उक्त प्ररुप को देने वाले व्यक्ति के सत्यापन के प्रयोजन के लिए उपनियम (2) मे निर्दिष्ट डाटा संरचना, इलैक्ट्रानिक सत्यापन के सृजन के मानक और रीति विनिर्दिष्ट करेगा ; और

(iii) इस प्रकार दिए गए उक्त प्ररुप के संबंध में नीतियों की समुचित सुरक्षा पुरालेखीय और पुन:प्राप्ति बनाने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।”

3. उक्त नियमों में परिशिष्ट 2 में, प्ररुप सं. 35 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररुप रखा जाएगा, अर्थात्

“प्ररुप सं. 35

(नियम 45 देखें)

आयकर आयुक्त (अपील) को अपील

व्यक्तिगत सूचना	प्रथम नाम	मध्यम नाम	अंतिम नाम या सत्ता का नाम	पैन
				टैन (यदि उपलब्ध हो)
	फ्लैट/द्वार/ब्लाक सं.		परिसर/भवन/गांव का नाम	सड़क, गली, डाकघर
	क्षेत्र/स्थान		नगर/शहर/जिला	राज्य (चयन करें)
	देश (चयन करें)	पिन कोड	फोन नं. एसटीडी कोड सहित/मोबाइल नं.	ईमेल पता यदि नोटिस/पत्र ई मेल द्वारा भेजे जाएं? हां/नहीं

जिस आदेश के विरुद्ध अपील फाइल	1	निर्धारण वर्ष जिसके संबंध में अपील प्रस्तुत की गई हो/वित्तीय वर्ष की प्रविष्टि करें, यदि अपील ऐसे आदेश के विरुद्ध फाइल की जाती है	निर्धारण वर्ष	
			वित्तीय वर्ष	

की गई हो			जहां निर्धारण वर्ष सुसंगत न हो		
	2		जिस आदेश के विरुद्ध अपील फाइल की गई हो, उसके ब्यौरे		
		क	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा और उपधारा		
		ख	आदेश की तारीख		
		ग	आदेश/मांग का नोटिस, तामील करने की तारीख		
	3		आयकर प्राधिकारी, जिसने अपील के विरुद्ध आदेश पारित किया है ।		
	4		यदि किसी अन्य निर्धारण वर्ष/ वित्तीय वर्ष के संबंध में कोई अपील अपीलार्थी के मामले में किसी आयुक्त अपील के पास लंबित है ।		हां/नहीं
लंबित अपील	4.1		यदि उपरोक्त सं. 4 का उत्तर हां हो तो निम्नलिखित ब्यौरे दें --		
		क	आयुक्त (अपील), जिसके पास अपील लंबित है		
		ख	अपील सं. और अपील फाइल करने की तारीख		
		ग	निर्धारण वर्ष/वित्तीय वर्ष जिसके संबंध में अपील प्रस्तुत की गई है		
		घ	आयकर प्राधिकारी, जिसने अपील के विरुद्ध आदेश पारित किया है		
		ड.	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा और उपधारा, जिसके अधीन की गई अपील के विरुद्ध आदेश पारित किया गया है ।		

		च	ऐसे आदेश की तारीख	
अपील के ब्यौरे	5		आयकर अधिनियम, 1961 की धारा और उपधारा जिसके अधीन अपील प्रस्तुत की गई हो	
	6		यदि अपील किसी निर्धारण से संबंधित हो	
		क	निर्धारित आय की रकम (रुपये में)	
		ख	आय में कुल जोड़ (रुपये में)	
		ग	हानि की दशा में, निर्धारण में हानि की कुल नामंजूरी (रुपये में)	
		घ	अपील में विवादित हानि का जोड़/ नामंजूरी की रकम (रुपये में)	
		ड.	विवादित मांग की रकम (रुपये में) हानि की दशा में शून्य प्रविष्ट करें	
	7		यदि अपील शास्ति से संबंधित है :	
		क	आदेश के अनुसार शास्ति की रकम (रुपये में)	
		ख	अपील में विवादित शास्ति की रकम (रुपये में)	
संदत्त करों के ब्यौरे	8		जहां अपीलार्थी द्वारा निर्धारण वर्ष के लिए, जिसके संबंध में अपील फाइल की गई हो विवरणी फाइल की गई है, यदि विवरणित आय पर देय कर पूर्णत: संदत्त किया गया है	हां/ नहीं/लागू नहीं
	8.1		यदि उपरोक्त संख्या 8 का उत्तर हां है तो विवरणी और संदत्त करों के ब्यौरे प्रविष्ट करें	
		क	पावती संख्या	
		ख	फाइल करने की तारीख	
		ग	कुल संदत्त कर	
	9		जहां अपीलार्थी द्वारा निर्धारण वर्ष के लिए कोई विवरणी फाइल नहीं की गई हो, यदि आयकर	हां/ नहीं/लागू नहीं

<table>
<tr><td></td><td></td><td>अधिनियम, 1961 की धारा 249 (4) (ख) के अनुसार अग्रिम कर की रकम के समान कोई रकम संदत्त की गई है</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>9.1</td><td>यदि उपरोक्त संख्या 9 का उत्तर हां है तो ब्यौरे प्रविष्ट करें ।

कर संदाय

<table><tr><td>बीएसआर कोड</td><td>संदाय की तारीख</td><td>क्रम संख्या</td><td>रकम</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>कुल जोड़</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>10</td><td>यदि अपील, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195 के अधीन कटौती योग्य किसी कर से संबंधित है और कटौती कर्ता द्वारा वहन की गई है, तो धारा 195 (1) के अधीन निक्षिप्त कर के ब्यौरे

<table><tr><td>बीएसआर कोड</td><td>संदाय की तारीख</td><td>क्रम संख्या</td><td>रकम</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>कुल जोड़</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">तथ्यों का विवरण, अपील के आधार और अतिरिक्त साक्ष्य</td><td rowspan="3">11</td><td>तथ्यों का विवरण</td><td></td></tr>
<tr><td>मामले के तथ्य, संक्षेप में (हजार शब्दों से अनधिक)</td><td></td></tr>
<tr><td>दस्तावेजी साक्षयों की सूची, जिन पर विश्वास किया गया है</td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>यदि आयकर प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही के दौरान पेश किए गए साक्ष्य से अन्यथा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नियम 46क के संबंध में फाइल किए गए हैं</td><td>हां/नहीं</td></tr>
<tr><td>12.1</td><td>यदि उपरोक्त संख्या 12 का उत्तर हां है तो ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य की सूची दें</td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td>अपील के आधार (प्रत्येक आधार 100 शब्दों से</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td rowspan="4"></td><td>अनधिक)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>1.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">अपील फाइल करने के ब्यौरे</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td>यदि अपील फाइल करने में विलंब हुआ हो</td><td>हां/नहीं</td></tr>
<tr><td>15</td><td>यदि उपरोक्त संख्या 13 का उत्तर हां है तो विलंब की माफी हेतु आधार प्रविष्ट करें (500 शब्दों से अनधिक)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>16</td><td>संदत्त अपील फीस के ब्यौरे
<table><tr><td>बीएसआर कोड</td><td>संदाय की तारीख</td><td>क्रम संख्या</td><td>रकम</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>17</td><td>पता जिस पर अपीलार्थी को नोटिस भेजे जा सकेंगे</td><td></td></tr>
</table>

सत्यापन का प्ररुप

मैं .... अपीलार्थी, एतदद्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर किए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पंक्ति 12.1 में कथित साक्ष्य से अन्यथा कोई अतिरिक्त साक्ष्य फाइल नहीं किए गए हैं ।

स्थान

तारीख

हस्ताक्षर ”

(अधिसूचना सं. 11/2016/फा. सं. 149/150/2015-टीपीएल)

(एकता जैन)
उप सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3 उपखंड **(i)** अधिसूचना सं. का.आ. 969 (अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. का.आ. 502(अ) तारीख 17/02/2016 द्वारा संशोधित किए गए ।